आरबीई सं.05/2022

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2021/पीएस5-2/4 नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2022

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: वेतन संरक्षण सहित निम्नतर वेतनमान/वेतन लेवल के पदों पर तैनाती/स्थानांतरण के मामलों में मौजूदा पास पात्रता जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.09.2013 और 18.03.2014 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2012/पीएस5-1/4.

एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल के नोडल अधिकारियों की बैठक में मामला उठाया गया है कि क्या वेतन संरक्षण सहित तैनाती/स्थानांतरण के मामलों में बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार प्रथम श्रेणी पास पात्रता की तरह द्वितीय श्रेणी 'ए' पास पात्रता को भी जारी रखा जा सकता है ।

2. मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चिकित्सीय विकोटिकृत होने या स्वयं के अनुरोध पर रेल सेवकों की तैनाती/स्थानांतरण निम्नतर वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल में वेतन संरक्षण के साथ की गई हो तो प्रथम श्रेणी पास पात्रता की तरह द्वितीय श्रेणी 'ए' पास की मौजूदा पात्रता इन मामलों मे भी जारी रहेगी ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड
ई-मेल: ddew1@rb.railnet.gov.in
फोन नं. : 011-23047203

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग-II/ एचआरएमएस, रेलवे बोर्ड	:	एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल के संबंध में।
2. निदेशक (सा. प्र.), रेलवे बोर्ड	:	सूचनार्थ।
3. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड	:	रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी संबंधितों को सूचनार्थ अपलोड करने हेतु ।